पीठासीन अधिकारी श्री जीतूसिंह मीणा आरएएस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **136 एलआर एक्ट सं. 22/2019**

बलराम पुत्र मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 बीडी तह. खाजूवाला।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ।

अप्रार्थी

उपस्थित :

1. श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य, अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :—22.03.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से छतरगढ बारानी का खसरा नम्बर 656/7 में 25.00 बीघा में 1/3 हिस्सा बारानी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम बलराम पुत्र मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 बीडी तह. खाजूवाला है एवम प्रार्थी के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से बलराम के स्थान पर बीरबलराम लिखा गया था जो कि आज दिनांक तक बीरबलराम ही चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त करवानें हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.02 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राज सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मीमों के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम से छतरगढ बारानी का खसरा नम्बर 656/7 में 25.00 बीघा में 1/3 हिस्सा बारानी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम बलराम पुत्र मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी चक 24 बीडी तह. खाजूवाला है एवम प्रार्थी के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से बलराम के स्थान पर बीरबलराम लिखा गया है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में जैसे ग्राम पंचायत द्वारा पहचान एवं राशन कार्ड, आधारकार्ड, बैंक डायरी, जाति प्रमाण पत्र में प्रार्थी का सहीं नाम बलराम ही दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम बीरबलराम की जगह बलराम दर्ज करनें का आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम बलराम जाति कुम्हार है एवं प्रार्थी का नाम सहवन से बीरबलराम दर्ज हो गया। इसलिए प्रार्थी की छतरगढ बारानी का खसरा नम्बर 656/7 में 25.00 बीघा में 1/3 हिस्सा बारानी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम बीरबलराम के स्थान पर बलराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम बीरबलराम के स्थान पर बलराम दर्ज करनें का आदेश पारित किया जाता है शेष अंकन यथावत रहेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.02 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

(जीतूसिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)